

व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक की वापसी

प्रलिस के लयि:

डेटा संरक्षण, व्यक्तगित डेटा, प्राइवैसी, परसनल डेटा प्रोटेक्शन बलि, डेटा लोकलाइजेशन, अन्य संबधति कानून

मेन्स के लयि:

व्यक्तगित डेटा संरक्षण का महत्त्व, डेटा सुरक्षा की चुनौतियाँ, डेटा सुरक्षा बलि के कार्यान्वयन हेतु उपाय

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने [संसद](#) से [व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक](#) वापस ले लया है क्योंकि यह वधियक देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लयि ऑनलाइन स्थान को वनियमति करने हेतु “[व्यापक कानूनी ढाँचे](#)” पर वचिर करता है।

व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक और इसकी प्रमुख चुनौतियाँ:

परचिय:

- व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक, 2019 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा 11 दसिंबर, 2019 को [लोकसभा](#) में पेश कया गया था।
- आमतौर पर इसे “[गोपनीयता वधियक](#)” के रूप में जाना जाता है, इसका उद्देश्य व्यक्तगित डेटा (जो कव्यक्ति की पहचान कर सकता है) के संग्रह, संचालन और प्रकुरया को वनियमति करके व्यक्तगित अधिकारों की रक्षा करना है।

चुनौतियाँ:

- कई लोगों का तर्क है कि [डेटा का भौतिक स्थान \(Physical Location of the Data\)](#) [साइबर दुनिया](#) में प्रासंगिक नहीं है क्योंकि एन्क्रिप्शन कुंजी अभी भी राष्ट्रीय एजेंसियों की पहुँच से बाहर हो सकती है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा या उचित उद्देश्य खुले और व्यक्तपरिक शब्द हैं, जसिसे नागरिकों के नजी जीवन में राज्य की घुसपैठ हो सकती है।
- [फेसबुक और गूगल](#) जैसी बड़ी प्रौद्योगिकियाँ इसके खलिफ हैं और उन्होंने [डेटा स्थानीयकरण](#) की संरक्षणवादी नीतिकी आलोचना की है क्योंकि उनहें डर है कि इसका अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
 - [सोशल मीडिया फर्मों, वशिषज्जों और यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी इसका वरिध कया था](#), जनिहोंने कहा था कि उपयोगकर्ताओं एवं कंपनियों दोनों के लयि प्रभावी तथा फायदेमंद होने हेतु इसमें बहुत सी कमियाँ हैं।
 - इसके अलावा इसका भारत के अपने युवा [स्टार्टअप्स](#) पर जो कि वैश्विक विकास का प्रयास कर रहे हैं, या भारत में वदिशी डेटा को संसाधति करने वाली बड़ी फर्मों पर वपिरीत प्रभाव पड़ सकता है।

वधियक वापस लेने का कारण:

बहुत अधिक संशोधन:

- [संयुक्त संसदीय समिति \(JCP\)](#) ने व्यक्तगित डेटा संरक्षण वधियक, 2019 का वसितृत वशि्लेषण कया।
 - इस संबध में 81 संशोधन प्रस्तावति कये गए थे, साथ ही डजिटल पारस्थितिकी तंत्र पर एक व्यापक कानूनी ढाँचे की दशि में 12 सफिरशें की गई थीं।
 - JCP की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कानूनी ढाँचे पर काम कया जा रहा है।
 - इसलयि इसे वापस लेने का प्रस्ताव आया।

गहन अनुपालन:

- वधियक को देश के स्टार्टअप्स द्वारा “गहन अनुपालन के रूप में भी देखा गया था।
- वशिष रूप से स्टार्टअप के लयि संशोधति बलि का अनुपालन करना बहुत आसान होगा।

डेटा स्थानीयकरण के मुद्दे:

- टेक कंपनियों ने वधियक में डेटा स्थानीयकरण नामक प्रस्तावति प्रावधान पर सवाल उठाया।

- डेटा स्थानीयकरण के तहत कंपनियों के लिये भारत के भीतर कुछ संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति-संग्रहीत करना अनविरय होगा और देश से अपरभाषित "महत्त्वपूर्ण" व्यक्तिगत डेटा का नरियात प्रतिबंधित होगा।
- कार्यकर्त्ताओं ने आलोचना की थी कयिह केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों को वधियक के कसिी भी और सभी प्रावधानों का पालन करने से पूरी छूट देगा।
- **हतिधारकों की नकारात्मक प्रतकिरया:**
 - इस वधियक को हतिधारकों की नकारात्मक आलोचना का सामना करना पड़ा, ये हतिधारक हैं फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों और गोपनीयता एवं नागरिक समाज के कार्यकर्त्ता।
- **कार्यानवयन में देरी:**
 - वधियक में देरी के लयि कई हतिधारकों ने आलोचना करते हुए कहा कयिह गंभीर चतिा का वषिय है कभारत के पास लोगों की गोपनीयता की रक्षा हेतु कोई बुनयादी ढाँचा नहीं है।

संयुक्त संसदीय समतिि की सफारशिन:

- इसने श्रीकृषण पैनल द्वारा अंतमि रूप दयि गए वधियक में 81 संशोधन और गैर-व्यक्तिगत डेटा पर चर्चा को कवर करने के लयि प्रस्तावति कानून के दायरे के वसितार सहति 12 सफारशिनों का प्रस्ताव रखा था, इसलयि 'व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक, 2019 को वापस लेने और एक नया वधियक जो व्यापक कानूनी ढाँचे में फटि बैठता हो प्रस्तुत कयिा जाएगा।
 - गैर-व्यक्तिगत डेटा, डेटा का ऐसा समूह है जसिमें **व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी नहीं** होती है।
- **JCP की रपिोर्ट में सोशल मीडिया कंपनियों के नयिमन** और स्मार्टफोन में केवल **"वशिवसनीय हार्डवेयर"** का उपयोग करने आदजैसे मुद्दों पर बदलाव की सफारशि की गई है।
- इसने प्रस्तावति कयिा कसोशल मीडिया कंपनियों जो बचौलयिों के रूप में कार्य नहीं करती हैं, उन्हें **सामग्री प्रकाशक के रूप में माना जाना चाहयि**, जसिसे उनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री के लयि वे उत्तरदायी हो जाते हैं।

आगे की राह

- **डेटा स्थानीयकरण:**
 - डेटा को ऐसे रूप में संग्रहीत कयिा जाना चाहयि जसि पर भारत सरकार का भरोसा हो और यह डेटा अपराध की जाँच के मामले में सुलभ होना चाहयि।
 - सरकार केवल **"वशिवसनीय भौगोलिक सीमा"** के पार डेटा प्रवाह की अनुमतदिने पर भी वचिर कर सकती है।
- **डेटा का वर्गीकरण:**
 - नया वधियक **डेटा स्थानीयकरण के दृष्टकिण से व्यक्तिगत डेटा के वर्गीकरण को** भी समाप्त कर सकता है और केवल उस स्थतिि में डेटा का वर्गीकरण कयिा जा सकता है यदकिसी कंपनी द्वारा कसिी के व्यक्तिगत डेटा के साथ छेड़-छाड़ की गई हो।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रारंभकि परीक्षा:

प्रश्न. 'नजिता का अधिकार' भारत के संवधान के कसि अनुच्छेद के तहत संरक्षति है?

- अनुच्छेद 15
- अनुच्छेद 19
- अनुच्छेद 21
- अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- **पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामला, 2017** में नजिता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक मौलिक अधिकार घोषति कयिा गया था।
- **नजिता का अधिकार, अनुच्छेद 21** के तहत जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरकि भाग के रूप में तथा भारतीय संवधान के भाग III द्वारा **गारंटीकृत स्वतंत्रता** के एक भाग के रूप में संरक्षति है।
- नजिता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और जीवन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को नयितरति करने की क्षमता को पहचानती है। नजिता एक पूर्ण अधिकार नहीं है लेकनि इस पर कोई भी आक्रमण इसकी वैधता, आवश्यकता तथा आनुपातिकता पर आधारति होना चाहयि।
- **अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।**

प्रश्न. नजिता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरकि भाग के रूप में संरक्षति है। नमिनलखिति में से कौन-सा भारत के संवधान में उपर्युक्त कथन का सही और उचित अर्थ है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संवधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान ।
(b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ।
(c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता ।
(d) अनुच्छेद 24 और संवधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान ।

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के नौ-न्यायाधीशों की बेंच ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वसम्मतिसे पुष्टि की कि नजिता का अधिकार भारतीय संवधान के तहत एक मौलिक अधिकार है ।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में नजिता का अधिकार भी शामिल है ।
- नजिता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संवधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है ।
- अतः विकल्प (c) सही उत्तर है ।

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे का परीक्षण कीजिये । (मुख्य परीक्षा 2017)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/withdrawal-of-personal-data-protection-bill>

